पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया हैं जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन/अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा दिनांक 10.11.2017 को खातेदार के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेशों तक पारित कर दी तथा दिनांक 13.12.2017 तथा दिनांक 10.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 /अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया था, इसके बाजवूद भी पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा अप्रार्थी संख्या 05, 06 है जो कि फोर्मल पक्षकार हैं की तलबी में नियत कर दी तथा आगामी पेशी दिनांक 14.02.2018, दिनांक 07.03.2018, दिनांक 23.04.2018 नियत कर दी लेकिन पत्रावली दिनांक 23.04.2018 पर नियत नहीं हुयी तथा राजस्व लोक अदालत कैम्प बोराज दिनांक 14.06.2018 से आगामी पेशी दिनांक 17.09.2018 नियत कर दी। सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 ए में यह कानूनी प्रावधान दिया गया हैं कि जहॉ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जाता हैं तो न्यायालय का कर्तव्य हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था इस प्रकार अपीलांट के द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने एक माह में आदेश पारित नही कर आदेश 39 नियम 3 व 3 ए जाप्ता दीवानी का उल्लघंन किया हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध हैं कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11. 2017 का क्रियान्वयन ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1331 तथा आर.आर.टी. 2015 पेज 904 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को एक पक्षीय स्थगन आदेश दिये हुए करीब 8 माह हो चुके हैं और अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी

अभी तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) का निस्तारण नहीं किया गया हैं जबकि सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 ए में यह कानूनी प्रावधान किया गया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश दिया जाता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर स्थगन दिया गया है वह वर्तमान में अपीलांट के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। इस प्रकार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किया गया हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 ए का उल्लघंन किया हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष तलबी नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06 हेतु नियत हैं। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने हेतु शेष रेस्पोडेन्टस की तलबी को पूर्ण करना होगा जिसमें बहुत समय व्यय होगा तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही होना हैं इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता का ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर पर निस्तारण करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुतन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से एक माह की अवधि में निस्तारण करें। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू का अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 10.11.2017 स्वतः ही निरस्त समझा जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।